बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 198808 पटना, दिनांक 01/09/14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(जीर्णोद्धार)-143/2011

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- "मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 1996 से स्वतंत्र "इंदिरा आवास योजना" के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे बेघर परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा मुहैय्या कराने हेतु मकान निर्माण कराने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती रही है । कालान्तर में इस योजना के अंतर्गत घर की इकाई लागत में समय-समय पर संशोधन हुए हैं । दिनांक 01.04.2004 के पूर्व प्रति गृह इकाई, मात्र ₹ 20,000 (बीस हजार रूपये) ही सहायता राशि मिलती थी । लाभुक के द्वारा अपनी ओर से अंशदान नहीं करने के कारण कई मामलों में आवास पूर्ण करने हेतु यह राशि अपर्याप्त रही । विशेषकर यह समस्या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मामले में ज्यादा गंभीर है क्योंकि मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप अपनी ओर से राशि लगाने के लिए वे सक्षम नहीं हो सके ।

उपर्युक्त कठिनाईयों को देखते हुए दिनांक 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों के लिंटल स्तर तक निर्मित किन्तु छत निर्माण नहीं किये जाने के कारण अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास का छत निर्माण कराकर आवास को पूर्ण करने के लिए **"मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना"** के तहत प्रति लाभुक ₹ 30,000 (तीस हजार रूपये) अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी है ।

निधि की उपलब्धता तथा जिलों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिलावार राशि शीघ्र हीं आवंटित की जा रही है । चूँकि यह योजना शत प्रतिशत राज्य प्रायोजित है, अतः इसका लेखा संधारण तथा बैंक खाता सामान्य इंदिरा आवास से अलग रखा जायेगा । चार्टड एकाउन्टेंट से इस योजना का अलग से अंकेक्षण कराया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अलग से ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जायेगा ।

(1) **पात्रता की शर्तें :-**

i) लाभान्वित अनुसूचित जांति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही हो, जिसको 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत हुआ हो ।

ii) लाभार्थी द्वारा लिंटल स्तर तक का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया हो तथा स्थायी छत का निर्माण नहीं हुआ हो ।

iii) लाभार्थी को दूसरा कोई पक्का घर नहीं हो ।

iv) लाभार्थी वर्तमान में स्थायी सरकारी सेवक नहीं हो ।

(2) **योग्य लाभुक की सूची तैयार करना** :- विभागीय निदेश के आलोक में प्राय: सभी जिलों के द्वारा जीर्णोद्धार योजना के लिए पात्र लाभुकों की सूची तैयार कर ली गयी है परन्तु बेगुसराय, दरभंगा, जमुई, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं शेखपुरा जिलों से लाभुकों की सूची विभाग को प्राप्त नहीं है, वे अविलम्ब चयनित लाभार्थियों की सूची विभाग को भेजें । इस योजना के तहत अनुदान स्वीकृत करने के लिए लाभुक सहित इंदिरा आवास का छत निर्माण नहीं होने की फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा । फोटोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी कि फोटोग्राफ में लाभुक सहित ग्रामीण आवास सहायक भी अपूर्ण आवास के सामने दिखें । इस प्रकार तैयार सूची को फोटोग्राफ सहित जिला पदाधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

कतिपय ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें लाभुक की मृत्यु हो चुकी हो । वैसी स्थिति में लाभुक की पति अथवा पत्नी (जो भी लागू हो) को इस योजनान्तर्गत पात्र लाभुक माना जायेगा । पति अथवा पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने की स्थिति में उस परिवार के उत्तराधिकारी को योजना का लाभ दिया जाय बशर्ते कि पूर्व में उन्हें अलग से इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया हो ।

(3) **लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत करना :-** जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत कर इंदिरा आवास के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हस्तगत कराया जायेगा ।

(4) **बैंक खाता खोलना** :- चूँकि इस योजनान्तर्गत 01.04.2004 के पूर्व स्वीकृत इंदिरा आवास के लाभुक को लाभ दिया जाना है तथा उस समय बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य नहीं था, अत: अनेकों लाभुक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले से बैंक में खाता नहीं खोला हो । ऐसे सभी लाभुकों का बैंक खाता खुलवाया जायेगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस कार्य हेतु Facilitator का कार्य करेंगे । इस कार्य हेतु ग्रामीण आवास सहायक/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को दायित्व दिया जायेगा जो बैंकों से समन्वय कर लाभुक का फार्म भरवायेंगे तथा लाभुकों की पहचान करेंगे तथा बैंक में खाता खोलवाना सुनिश्चित करेंगे ।

(5) **सहायता राशि का भुगतान** :- सहायता राशि दो किस्तों में बैंक खाता के माध्यम से दी जायेगी । प्रथम किस्त के रूप में ₹ 20,000 (बीस हजार रूपये) एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 10,000 (दस हजार रूपये) की सहायता राशि दी जायेगी । प्रथम किस्त की राशि से लाभुकों के द्वारा छत निर्माण पूर्ण करने पर लाभुक सहित निर्मित छत की फोटोग्राफी के साक्ष्य प्राप्त होने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जायेगा । द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु फोटोग्राफ

सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर जॉचोपरान्त भुगतान करने का दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का होगा । ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को मोबाइल हेन्ड सेट उपलब्ध हो जाने के पश्चात, इस योजना के अनुश्रवण हेतु फोटोग्राफ को SAAS पर Storage हेतु अपलोड किया जायेगा ।

(6) **छत निर्माण का विकल्प** :- मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत ऐसे छत विहीन मकानों को चिन्हित किया गया है जो लगभग 10 वर्ष से अधिक से पुराने हैं और इनका दीवाल छत ढलाई का भार सहन करने योग्य प्राय: नहीं होगा । इस संदर्भ में छत निर्माण हेतु alternative Building Materials का उपयोग करने के संबंध में आयोजित कार्यशाला में तकनीकी टीम द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में निम्नांकित निदेश विभागीय पत्रांक-196655 दिनांक-14.08.14 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दिया गया है -

i) मकान के छत का निर्माण लाभुकों के इच्छानुसार एलुमिनियम शीट से भी कराया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है लेकिन टीन शीट से छत का निर्माण नहीं कराया जाय । चूँकि टीन शीट में जंग लग जाने की वजह से कभी भी टीन शीट में छेद हो सकता है जिसके कारण बरसात में छत चूने की पूरी संभावना बनी रहेगी तथा टीन शीट का Re Sale Value भी नहीं के बराबर होगा ।

ii) आजकल बाजार में स्क्रेप से बने एलुमिनियम शीट भी बहुतायत से मिलते हैं । अत: एलुमिनियम शीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से एलुमिनियम शीट क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाय । इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी0डी0 के माध्यम से Distributor/Manufacturer कंपनी के नाम से किया जाय । यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में Distributor/Manufacturer को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाय ।

(7) **आवासों को पूर्ण करने की अवधि** :- लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि के हस्तांतरण के तीन माह के अंदर आवासों को पूर्ण कराया जाय । अत: ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति का सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाय । जो लाभुक निर्धारित अवधि के अंदर आवास को पूर्ण नहीं करेंगें उन्हें एक माह का नोटिस देकर भुगतान की गयी राशि की वसूली की जाय ।

(8) ग्रामीण आवास सहायकों के नियोजन का अवधि विस्तार इस योजना में उनकी उपलब्धि के मुल्यांकन के आधार पर किया जायेगा ।

कृपया उपरोक्त के आलोक में आवश्यक तैयारी करायी जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
8/14

ज्ञापांक 198808 पटना, दिनांक 01/09/14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 198808 पटना, दिनांक 01/09/14 30/8/14

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव

30/8/14

(117)

पत्रांक–19655/ 14/08/2014

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/
सभी ग्रामीण आवास सहायक, बिहार।

पटना, दिनांक अगस्त, 2014

विषयः–इंदिरा अवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण में अल्युमिनियम सीट का उपयोग करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इंदिरा आवास योजना के दिशा–निर्देश के अनुसार लाभुकों को अपने मकान में किस तरह के सामग्री का उपयोग करना है यह लाभुकों के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री का दर बहुत ज्यादा रहने की वजह से प्रत्येक साल इंदिरा आवास योजना के अपूर्ण भवनों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण इंदिरा आवास योजना के मूल उद्देश्य की पूर्त्ति नहीं हो पा रही है।

2. इस संदर्भ में छत निर्माण हेतु alternative building materials का उपयोग करने के संदर्भ में एक कार्यशाला दिनांक 02.08.2014 को आयोजित हुआ था। उस कार्यशाला में तकनीकी टीम द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि यदि छत निर्माण हेतु अल्युमिनियम सीट का उपयोग किया जाए तो छत का रख–रखाव नगण्य होगा, उसका री–सेल भेल्यू कभी भी कम नहीं होगा तथा भविष्य में नया मकान बनाने के समय इस सीट को हटाकर कंकीट छत ढालकर दूसरा तल्ला बनाने में इस सीट का उपयोग किया जा सकता है।

3. वर्तमान में कंकीट का मकान निर्माण करने पर तकनीकी पदाधिकारी के आकलन के अनुसार लगभग 1.5 लाख रू0 (शौचालय सहित) लागत आयेगी। लेकिन बी0पी0एल0 परिवार को इस योजना के अन्तर्गत शौचालय सहित निर्माण करने के लिए 80 हजार रू0 दिया जा रहा है। इसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों परिवारों के द्वारा एकमुश्त 70 हजार रू0 की राशि लगाने में सक्षम नही रहने के कारण प्रत्येक साल हजारों की संख्या में मकान अपूर्ण रह जाते हैं।

(16)

4. उप विकास आयुक्त किशनगंज के द्वारा अत्यधिक वर्षा के कारण मकान के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएँ घटित होने तथा ढ़लाई वाले छतों में रिसाव होने पर उसकी मरम्मति में कठिनाई की बात कही गयी है तथा सुझाव दिया गया है कि क्षतिग्रस्त छतों की मरम्मति में होने वाली सुविधा एवं कम लागत के कारण टीन को छत की सामग्री के रूप में प्रावधानित किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में तथा आवासों को समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु निम्नांकित दिशा–निर्देश दिया जा रहा है :–

(i) मकान के छत का निर्माण लाभुकों के इच्छा अनुसार अल्युमिनियम सीट से भी कराया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन टीन सीट से छत का निर्माण नहीं कराया जाए। चूंकि टीन सीट में जंग लग जाने की वजह से कभी भी टीन सीट में छेद हो सकता है जिसके कारण वर्षात में छत चूने की पूरी संभावना बनी रहेगी तथा टीन सीट का रि–सेल भेल्यू भी नहीं के बराबर होगा।

(ii) आज–कल बाजार में स्क्रेप से बने अल्युमिनियम सीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः अल्युमिनियम सीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से अल्यूमिनियम सीट क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाए। इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी.डी. के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर कंपनी के नाम से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाए।

(iv) प्राइमरी प्रोड्यूसर की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

कृपया तद्नुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वास भाजन,

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव।
13/8/14